UPGZ010136402023

**न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या–05, गाजियाबाद**।

**उपस्थितः अरविन्द मिश्र (एच० जे० एस०)**

**J O I.D. U P 6263**

चुनाव याचिका संख्या–21/2023

CNR N0–UPGZ01013640 2023

कम्प्यूटर रजि० नम्बर–21/2023

कपिल कुमार बनाम सचिन कुमार आदि

**दि०–29–10–2024**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 सचिन कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र 37 क मय शपथ पत्र 38 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त याचिका माननीय जिला जज, गाजियाबाद के समक्ष योजित थी जो वर्तमान मे श्रीमानजी के न्यायालय मे विचाराधीन है। उक्त चुनाव याचिका योजित किये जाने के पश्चात याचिका की सूचना अथवा सम्मन आदि विपक्षी संख्या–1 को आज तक भी प्राप्त नही हो सका जिस कारण उसे उक्त चुनाव याचिका की जानकारी न होने के कारण वह उपस्थित नही हो सका। करीब एक सप्ताह पूर्व प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 अपने क्षेत्र मे ही एक मीटिंग मे बैठा हुआ था तभी कुछ लोगो के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि आपके विरूद्ध चुनाव याचिका योजित की हुई है जो वर्तमान मे जिला न्यायालय मे विचाराधीन है। तत्पश्चात प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट वैब से जानकारी पर पता चला कि दिनांक 23–04–2024 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 पर तामील पर्याप्त मानते हुए प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु दिनांक 13–05–2024 नियत की गयी। नियत दिनांक 13–05–2024 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहे तथा अग्रिम तिथि 28–05–2024 को प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 उक्त याचिका की जानकारी न होने के कारण अनुपस्थित रहा और याचिका मे प्रतिवाद पत्र दाखिल नही कर सका और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28–05–2024 को प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 का प्रतिवाद पत्र दाखिल किये जाने का अवसर समाप्त कर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली वास्ते एक पक्षीय साक्ष्य नियत की गयी जबकि प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 उपरोक्त चुनाव मे निर्वाचित पार्षद है। यदि प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान नही किया जाता है तो प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 की अपार हानि होगी जिससे न्याय की मंशा ही फौत हो जाएगी। अतः उक्त चुनाव याचिका मे प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांकित 28–05–2024 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 को प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाकर चुनाव याचिका गुण–दोष के आधार पर निर्णीत करने की याचना की गयी।

प्रार्थना पत्र 37 क के विरूद्ध याचिकाकर्ता की ओर से कोई आपत्ति नही की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 23–04–2024 को श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट संख्या–14, गाजियाबाद के द्वारा विपक्षी संख्या–1 पर तामीला पर्याप्त मानते हुए आदेश पारित किया गया कि विपक्षी संख्या–1 अपना प्रतिवाद पत्र दिनांक 13–05–2024 तक दाखिल करना सुनिश्चित करे। दिनांक 13–05–2024 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उक्त याचिका मे दिनांक

28–05–2024 प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु नियत की गयी। दिनांक 28–05–2024 को प्रतिवादी संख्या–1 उपस्थित नही हुआ और प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से संचालित की गयी।

प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उसे उक्त याचिका की जानकारी नही थी। उसे उक्त चायिका की जानकारी एक सप्ताह पूर्व एक मीटिंग मे लोगो द्वारा दी गयी। तत्पश्चात प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट वैब से जानकारी पर पता चला कि दिनांक 23–01–2024 को प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 पर तामील पर्याप्त मानते हुए प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु दिनांक 13–05–2024 नियत की गयी। नियत दिनांक 13–05–2024 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहे तथा अग्रिम तिथि 28–05–2024 को प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 उक्त याचिका की जानकारी न होने के कारण अनुपस्थित रहा और याचिका मे प्रतिवाद पत्र दाखिल नही कर सका। प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। उक्त स्थिति मे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया गया है और याचिकाकर्ता की ओर से भी प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति नही की गयी है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र 37 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 37 क स्वीकार किया जाता है तथा श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–14, गाजियाबाद द्वारा प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध वाद की एक पक्षीय रूप से कार्यवाही संचालित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 28–05–2024 अपास्त किया जाता है।

विपक्षी संख्या–1 को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते प्रतिवाद पत्र, प्रार्थी/विपक्षी संख्या–1 हेतु दिनांक 06–11–2024 को पेश हो।

(अरविन्द मिश्र)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०–05,गाजियाबाद।